



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: टीएस-सीसीटीएनएस-83 / 2015  
सेवा में,

दिनांक: २५-०५-२०१५

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /  
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत कोर एप्लीकेशन साप्टवेयर में इन्द्राज की जा रही प्रविष्टियों को Corrcet कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों ने कोर एप्लीकेशन साप्टवेयर में डाटा त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है उसे डिलीट किये जाने का अनुशोध किया है। प्रश्नगत प्रकरण में यह निर्णय लिया गया है कि कोर एप्लीकेशन साप्टवेयर में दर्ज इन्द्री को Corrcet कराया जाएगा। जिसके लिए निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएः-

- जो प्रविष्टि गलत दर्ज हो गयी है उसका प्रिन्ट लिया जाए।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर से ही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का विवरण उपलब्ध कराया जाए ताकि उसे Corrcet कराया जा सके।
- यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे ठीक नहीं कराया जाएगा।
- त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को ठीक कराने हेतु जो पत्राचार इस मुख्यालय से किया जाए उसकी एक प्रति जनपदीय नोडल अधिकारी अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।
- इस मुख्यालय को पत्र प्रेषित करने के 03 दिवस के अन्दर सीसीटीएनएस कन्ट्रोल रूम तकनीकी सेवायें तथा हेल्पडेस्क से डाटा के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात कर ली जाए।
- यदि समस्या का निराकरण 05 दिवस के अन्दर नहीं होता है तो प्रभारी सीसीटीएनएस को दूरभाष संख्या 09454404841 पर सूचित करें।
- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रविष्टि सही प्रकार दर्ज करायें ताकि कार्य सरकार में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(अर०के०विश्वकर्मा)  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
तकनीकी सेवायें, उ०प्र०,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, एफ०एस०एल०, महानगर लखनऊ।
- 4- श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अनुपालन हेतु।
- 5- प्रभारी सीसीटीएनएस को इस निर्देश के साथ कि जनपदों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों को हेल्पडेस्क पर फारवर्ड कर समस्या का निराकरण कराने हेतु।